

पत्र संख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2019-20)-टैक्स आडिट// 157

1920015  
//वाणिज्य कर,  
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
(निरीक्षण-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 15, मई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,  
समस्त ज्वाइण्ट कमिशनर(टैक्स ऑडिट)  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र सं0-सी0सी0टी0/निरी0 अनु0/(2018-19)-टैक्स आडिट// 512/ 1819025/ वाणिज्य कर, दिनांक 07-08-2018, के क्रम में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008 की धारा-44 तथा वैट नियमावली के नियम-43 में नक्शों की शुद्धता का परीक्षण एवं आई0टी0सी0 आदि की सत्यता की जांच करने के उद्देश्य से टैक्स आडिट का प्राविधान किया गया है। टैक्स आडिट हेतु कर निर्धारण वर्ष 2017-18 (दिनांक 01-04-2017 से 30-06-2017 तक) के व्यापारियों का चयन निर्धारित मानक के आधार पर साफ्टवेयर तैयार कराया गया है।

| S.No. | Parameters                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-    | I.T.C. Claimed in TRANS-1                                                              |
| 2-    | Taxable under Vat but Non Taxable under GST                                            |
| 3-    | Challan amount equal zero                                                              |
| 4-    | Tax Turnover ratio less than 0.5%                                                      |
| 5-    | Rise in Tax/Rise in sale                                                               |
| 6-    | Change in pattern of Tax invoice Purchases made                                        |
| 7-    | Change in the pattern of purchases made from the unregistered dealer                   |
| 8-    | Change in the Range of turnover                                                        |
| 9     | Change in the sale pattern of the dealer                                               |
| 10-   | Turnover of Purchases through Form 38                                                  |
| 11-   | Comparative E Sancharan increase                                                       |
| 12-   | Concessional Sale/Ex UP Purchase                                                       |
| 13-   | Form F to total sale                                                                   |
| 14-   | Tax Paid/Admitted tax                                                                  |
| 15-   | Not migrated in G.S.T.                                                                 |
| 16-   | Differences in Interstate purchase declared in e-return and particulars of E-Sancharan |
| 17-   | Esancharan which amount is > 5000000                                                   |
| 18-   | Form 21 which amount is > 5000000                                                      |
| 19-   | Turnover > 50000000                                                                    |
| 20-   | Dealers of Corporate circle                                                            |
| 21-   | Dealers deals in Sensitive commodities                                                 |
| 22-   | Turnover > 20000000 and Manufacturer                                                   |

(2)

- 2- कमिशनर द्वारा टैक्स आडिट हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर ही साफ्टवेयर द्वारा दिये गये अंक (स्कोर) के आधार पर वर्ष 17-18 (VAT अवधि दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 30-06-2018) के लिए चयन किया गया है।
  - (i) सर्वप्रथम विभागीय बेवसाइट <http://comtax.up.nic.in> में Departmental services में MIS Report पर उपलब्ध Officer Login For MIS Report पर क्लिक किया जायेगा।
  - (ii) ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने सम्भाग का चयन Drop down से किया जायेगा।
  - (iii) अब ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।
  - (iv) इसके पश्चात Menu पर उपलब्ध Tax Audit बटन पर क्लिक किया जायेगा। जिसपर टैक्स ऑडिट हेतु चयनित व्यापारियों की List उपलब्ध हो जायेगी।
- 3- टैक्स ऑडिट हेतु चयनित कुल व्यापारियों में से ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स ऑडिट) द्वारा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार टैक्स ऑडिट टीम बनाकर कार्य सम्पादित किया जायेगा।
- 4- टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में I.T.C. का सत्यापन अथवा अन्य किसी जाँच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिया जायेगा, अपितु समस्त जाँच टैक्स आडिट अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी। ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स ऑडिट) द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की मासिक समीक्षा में इसका शत प्रतिशत अनुपालन जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
- 5- जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, यदि कुछ ऐसे व्यापारियों, जिनके द्वारा TRANS-1 में ITC क्लेम की गयी है एवं टैक्स ऑडिट हेतु चयन नहीं हुआ है, का टैक्स ऑडिट कराना चाहते हैं, तो टैक्स आडिट किये जाने हेतु कारण सहित व्यापारियों की सूची ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स ऑडिट) को प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्व सूचना मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग को प्रेषित की जायेगी।
- 6- मुख्यालय के परिपत्र सं0-1394/1819076, दिनांक 24-12-2018 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार टैक्स ऑडिट अधिकारियों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट माड्यूल पर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी, तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त माड्यूल पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को View करके Assessment के पश्चात समस्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पादित की जायेगी।
- 7- कार्य हित में यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त अवधारित प्रक्रिया के अनुसार टैक्स ऑडिट हेतु चयनित व्यापारियों का टैक्स ऑडिट करते हुये दिनांक 31-12-2019 तक रिपोर्ट सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को माड्यूल के माध्यम से प्रेषित करेंगे तथा टैक्स ऑडिट माड्यूल पर Entry सुनिश्चित करेंगे।
- 8- कर निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स ऑडिट) कर निर्धारण आदेश का अध्ययन करते हुए यह देखेंगे कि इसमें टर्नओवर एवं कर का निर्धारण आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुरूप किया गया है, अथवा नहीं।
- 9- ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स ऑडिट) द्वारा यदि पाया जाता है कि कर निर्धारण आदेश में निर्धारित टर्नओवर व कर आडिट रिपोर्ट के अनुरूप नहीं है तो इसकी स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, को प्रेषित करेंगे।
- 10- ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स ऑडिट) से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर जोनल एडीशनल कमिशनर अपने स्तर से मामले का परीक्षण करेंगे एवं कर निर्धारण अधिकारी को विधि अनुकूल कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे तथा कोई अनियमितता पाये जाने पर अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में भी निर्णय लेंगे।
- 11- यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों को, उनका चयन कर निर्धारण वर्ष-2017-18 (दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 30-06-2017 तक) के टैक्स आडिट हेतु किये जाने विषयक सूचना, दिनांक



15-06-2019 से पूर्व संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से तामील कराते हुए इस सम्बन्ध में टैक्स आडिट मैनुअल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

( अमृता सोनी )

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

पृ० पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश, शासन।
- 2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आईटी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार व्यापारियों का चयन कर समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की बेवसाइट पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अजीत कुमार शुक्ल)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।